फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

जवाराराम बनाम अणदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 232/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.08.2021	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री प्रेमराज पंवार द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कुम्पलिया, पटवार मण्डल कुम्पलिया तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप करने व कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 29/09/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा कुम्पलिया पटवार मण्डल कुम्पलिया तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 476, 475, 474 रकबा कमश 44.0297 हैक्टेयर, 0.0647 हैक्टेयर, 0.2347 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण व उनके ऐजेन्ट किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बांधा कारित नहीं करे। न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभयपक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 29/09/2021 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

सेवामें,

29/09/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फर्द तामील प्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिग्गा ग्रामों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/04/2022 को पेश हो।

12/04/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फर्द तामील प्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिग्गा मर्सो में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-21/06/2022 को पेश हो।

21/06/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फर्द तामील अप्राप्त/ प्रार्थी वकील विप्रार्थीगणों के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश करें/ पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 04/07/2022 को पेश हो/ तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

04/07/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित/ [illegible] मूल वाद जरिये विड्रोवल खारीज हो चुका है इसलिए स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है।
अतः प्रार्थी का उक्त स्थगन आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर